न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 167/2021 दायर दिनाँक 22.07.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. श्रवणराम दत्तक पुत्र स्व0 मोतीराम जाति जाट निवासी बाण्डोलाई की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना 2. गणेशाराम पुत्र रामूराम 3. सिणगारीदेवी पत्नि स्व0 मोतीराम 4. नाथूराम पुत्र गोदूराम 5. मंगनीदेवी पत्नि गोदुराम समस्त जाति जाट निवासी बाण्डोलाई की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज0) 6. मेनेजर नागौर स. भू. वि. लि. नागौर शाखा डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती हस्ब
अन्तर्गत धारा— 88, 136 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री जयप्रकाश डूकिया वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 20.04.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा बाण्डोलाई की ढाणी की शहरद के खेत पुराने ख0न0 601 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा, जिनके नये ख0न0 52 रकबा 1.63 हैक्टे0 स्थित है। जो वादी व प्रतिवादी सं0 03 ता 05 की पैत्रिक व कब्जा काश्त की जायगा है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी सं0 03 ता 05 ने पूर्व ख0न0 601 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा में से 11 बिस्वा भूमि दिनांक 31.07.2014 जो जरिये बैचाण रजिस्ट्री के प्रतिवादी सं0 01 को बैचाण किया था। उक्त बैचाण की हुई भूमि के पाडौस बैचाण रजिस्ट्री में दर्ज है।

यह है कि पटवारी हल्का कोलिया ने उक्त बैचाण का म्युटेशन प्रतिवादी सं0 दो के पक्ष में सही दर्ज किया जाकर प्रतिवादी सं0 02 की खरीद सुदा भूमि के नये खसरा सं0 190/52 दर्ज किया है। मगर पटवारी हल्का ने राजस्व रेकर्ड के नक्शे में जायगा को तरमीम करते वक्त उक्त बैचाण में दिये गये पाडौ़स के अनुसार तरमीम नही करके वादी के नजरी नक्शे में मार्क ए. बी. सी. डी. स्थान की जायगा को तरमीम किया है जो गलत व निराधार है। जबकि वादी व प्रतिवादी सं0 03 ता 05 ने अपने बैचाण में प्रतिवादी सं0 02 की जायगा के पाडौस को दर्शाया जाकर वादी के नजरी नक्शा में मार्क ई.एफ.जी. एच स्थान की जायगा का ही कब्जा दिया गया था।

यह है कि वादी कके नजरी नक्शे में मार्क ए. बी. सी. डी. जायगा को पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में तरमीम किया है जो गलत व निराधार है। जबकि प्रतिवादी सं0 02 का कब्जा काश्त वादी के नजरी नक्शा में मार्क ई.एफ.जी.एच स्थान पर है। पटवारी हल्का ने वादी व प्रतिवादी सं 03 ता 05 द्वारा दिनांक 31.07.2014 को किया गया प्रतिवादी सं0 02 के पक्ष में बैचाण में दर्ज पाडौस के अनुसार सही पालना नही की है गलत जायगा की तरमीम की है जो गलत है। जिसकी सही घोषणा की जाकर राजस्व नक्शा में दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :—

कि वादी का वाद डिक्री फरमाया ज[illegible] बाण्डोलाई की ढाणी की शहरद में खसरा सं0 190/52 [illegible] को वादी के नजरी नक्शे में मार्क ए. बी. सी. [illegible] राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम किया गया [illegible] द्वारा पेश नजरी नक्शा में मार्क ई. एफ. जी. एच. जायगा की घोषणा की [illegible]कर इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:03:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट ली गई। जो सामिल मिसल है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम बांडोलाई की ढाणी की सरहद में तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 190/52 रकबा 11 बिस्वा को वादी के नजरी नक्शे मे मार्क ए. बी. सी. डी. जायगा को पटवारी हल्का ने राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम किया गया उसको हटाया जाकर वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा में मार्क ई. एफ. जी. एच. जायगा की घोषित किया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **20.04.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:03:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 167/2021 दायर दिनाँक 22.07.2021

वादी

1. श्रवणराम दत्तक पुत्र स्व0 मोतीराम जाति जाट निवासी बाण्डोलाई की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना
2. गणेशाराम पुत्र रामूराम
3. सिणगारीदेवी पत्नि स्व0 मोतीराम
4. नाथूराम पुत्र गोदूराम
5. मंगनीदेवी पत्नि गोदुराम समस्त जाति जाट निवासी बाण्डोलाई की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज0)
6. मेनेजर नागौर स. भू. वि. लि. नागौर शाखा डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 20.04.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री जयप्रकाश डूकिया वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम बांडोलाई की ढाणी की सरहद में तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं0 190/52 रकबा 11 बिस्वा को वादी के नजरी नक्शे मे मार्क ए. बी. सी. डी. जायगा को पटवारी हल्का ने राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम किया गया उसको हटाया जाकर वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा में मार्क ई. एफ. जी. एच. जायगा की घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–................ बाबत......................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 20.04.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:03:54 IST
Reason: SelfAttested

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner